न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:- श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :- 158/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
01. रतनलाल पुत्र भीकमचंद जाति ब्राह्मण निवासी साण्डिया तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		01. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-

01. श्री गोविन्द प्रसाद अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

-: निर्णय :- दिनांक : 11/08/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा गांव साण्डिया पटवार हल्का साण्डिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र, चण्डावल तहसील सोजत में प्रार्थी व अन्य सह खातेदारान की खातेदारी, कब्जासुदा, कृषि भुमि आयी हुई स्थित है। जिसके वर्तमान खसरा नंबर 1566 रकबा 0.3020 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1563 रकबा 0.7660 हैक्टर की कृषि भुमि आयी हुई स्थित है। वादग्रस्त कृषि भुमि खसरा नंबर 1566 की तरमीम सैटलमेन्ट पश्चात त्रिकोणी / त्रिभुजाकार कर दी गयी है एवं खसरा नंबर 1563 जो कि समचौर था उसकी एक भुजा भी तिरछी कर दी गयी है एवं खसरा नंबर 1565 के चिपते कर दी गयी है जबकि मौके पर वादग्रस्त कृषि वर्गाकार / एक समान है। खसरा नंबर 1565 जो कि रास्ता है। मौके पर सीधा खसरा नंबर 1566 एवं खसरा नंबर 1563 के बीच में है जबकि खसरा नंबर 1565 की एक भुजा की तरमीम खसरा नंबर 1566 के उतरी कौने में मिलते हुए कर दी गयी है, वादग्रस्त कृषि भुमि खसरा नंबर 1563 एवं 1566 के सैटलमेन्ट से पूर्व के खसरा नंबर 1184 एवं 1185 है वह भी वर्गाकार है जिसका नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत है। सैटलमेन्ट के पश्चात, सैटलमेन्ट अधिकारीयों को कोई हक अधिकार नहीं था कि सैटलमेन्ट के पश्चात बने नये खसरा की तरमीम वर्गाकार के स्थान पर त्रिभुजाकार कर दे। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'क' जो कि सैटलमेन्ट पश्चात मौके की वास्तविक स्थिति को इंगित करता है के अनुसार वादग्रस्त कृषि भुमि खसरा नंबर 1566 व 1563 की तरमीम को दुरस्त करवाये। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट 'क' अनुसार वादग्रस्त कृषि भुमि के राजस्व नक्शे को दुरस्ती के आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 01 में वर्णित भूमि सरहद मौजा साण्डिया में होना, पैरा सं0 02 से 04 प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर सिद्ध करना तथा पैरा सं0 05 से 07 कानूनी होना अंकित किया।

प्रकरण में वादरथ भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति रिपोर्ट हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम साण्डिया के ख.नं. 1563 व 1566 रकबा क्रमशः 0.7660 है0, 0.3020 है0 गीता पत्नी जयराम, जगदीशसिंह पुत्र नाथुसिंह वगैरह संलग्न जमाबंदी खाता अनुसार हैं। खसरा सं0 1563 व 1566 वर्तमान शीट नक्शानुसार एवं मौके पर उक्त खसरा संलग्न रिपोर्ट नजरी नक्शानुसार हैं। भू–प्रबंधन की शीट अनुसार उक्त खसरा संलग्न रिपोर्ट अनुसार हैं। वर्तमान शीट अनुसार मौका व राजस्व रेकर्ड में भिन्नता हैं। उक्त खसरा नंबर भू–प्रबंधन अनुसार मौके पर स्थित हैं, की रिपोर्ट पेश की, सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा साण्डिया तह0 सोजत के खसरा नम्बर 1566 व 1563 की तरमीम मौके पर काबिज स्थिति के अनुसार प्रा0पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'क' में दर्शित स्थिति के अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड ट्रेस नक्शा में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जबाब बहस में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार ग्राम साण्डिया के वर्तमान ख.नं. 1563 व 1566 भू–प्रबंधन में गत ख. नं. 1184, 1185 तथा 1185 से तथा ख.नं. 1565 गत ख.नं. 1189, 1185 व 1187 से मिलकर बने हैं। सैटलमेंट पूर्व ख.नं. 1184 व 1185 की स्थिति की चतुर्भुजाकार थी, जो वर्तमान में बने ख.नं. 1563 व 1566 की तरमीम क्रमशः चर्तुभुजाकार व त्रिभुजाकार तरमीम कर गई तथा रास्ते का ख. नं. 1565 जो पूर्व में सीधा था, उसे तीरछा तरमीम कर दिया गया। पत्रावली में प्रस्तुत गुगल सुपर इंपोज शीट से भी मौका व राजस्व रेकर्ड की तरमीम में भिन्नता होना साबित होता हैं। लिहाजा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का उक्त प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर उक्त खसरो की मौके पर वर्तमान स्थिति अनुसार तरमीम शुद्धि किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

—: आदेश:—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा साण्डिया, प0ह0 साण्डिया तह0 सोजत के खसरा नम्बर 1566, 1563 व 1565 की तरमीम पटवारी

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

हल्का द्वारा रिपोर्ट में नजरी नक्शा में दर्शित मौके की वर्तमान स्थिति के अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 11/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत